महोदय, वाद क्र. 50 ता. दा. 17-6-25

इन्द्रसिंह बनाम रा. ज.

वकील श्री ....(वे) दिलावर मोहम्मद........ ने पेश किया।

1. वाद अन्दर मियाद पेश किया है।
2. न्यायालय के श्रवणाधिकार का है।
3. नियमानुसार उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है।
4. प्रतिवादीगण का पूर्ण पता अंकित है।
5. वाद पत्र की प्रतियां वाद के साथ संलग्न है।
6. वादी का शपथ पत्र संलग्न है।
7. तलवाना उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है तथा नोटिस के साथ वाद पत्र की प्रतियां संलग्न है।
8. पर्याप्त वाद हैतुक दर्शाया गया है।
9. वाद पत्र के साथ नवीनतम आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर रीडर

रिपोर्ट सरिस्ता देखी गयी । वादी वकील उपस्थित है। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/6/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

25/6/25 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 14/7/25 को पेश हो।

रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

14/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली पूर्व निर्देशानुसार 13/8/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

13/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। तहसीलदार की रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इंतजार TDR रिपोर्ट दिनांक 28.8.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

28/8/25 पत्रावली पेश हु । बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन आज्ञा से अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 25/9/25 को पेश हो।

रीडर
सहायक कलेक्टर मनोहरथाना

25/09/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थी उप०। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार सरकार उप०। जवाब पेश किया जिसकी नकल प्रार्थी अभिभाषक को दिलाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 07.10.25 को पेश हो।

पैरोकार

07.10.25 पत्रावली पेश। उभय पक्षकारान उप०। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा० पत्र में जाति की शुद्धि का अनुरोध चाहा है। प्रार्थीगण का कथन है वादपत्र की मद संख्या 1 व 2 वर्णित आरजी में जमाबंदी में वादीगण की जाति मोची दर्ज हो रही है जबकि वादीगण की जाति बागरी है। राजस्व रिकॉर्ड में यह त्रुटिवश दर्ज हो गयी है।

वादीगण द्वारा दावे की मद संख्या 15 में कथन किया गया है कि एक अन्य राजस्व रिकॉर्ड में उनके पिता की जाति बागरी दर्ज है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी जाति बागरी दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कुछ अप्रमाणित दस्तावेज यथा - सहायक निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा, का 17.2.93 को जारी प्रमाण पत्र, T.C. जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं।

तहसीलदार द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रार्थीगण के पिता आशाराम की जाति का बागरी होना साबित नहीं होता। प्रार्थीगण द्वारा खाता संख्या 464 से नामांतरण 1359 से सामान्य जाति की महिला को भूमि का बेचान किया गया है। यदि प्रार्थीगण बागरी जाति जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है, के सदस्य होते तो सामान्य जाति

को भूमि का बेचान नहीं कर सकते थे। वादीगण अपनी जाति मोग्या से बागरी करवाना चाहते हैं जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। अतः वादी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाए।

हमने पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत 2074-77 खाता संख्या 464 से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने आराजी का बेचान सामान्य वर्ग के व्यक्ति को किया है। अगर वादीगण अपने आप को बागरी जोकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति बताते हैं तथा रिकॉर्ड की शुद्धि चाहते हैं तो उनके द्वारा सामान्य जाति के व्यक्ति को भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता था यह काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से स्पष्टया: बाधित है।

इस प्रकार वादीगण अपनी सुविधानुसार जाति का लाभ लेना चाहते हैं। वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं तथा तथ्यों को छुपाकर एवं गुमराह कर जाति परिवर्तन का दावा न्यायालय के समक्ष लाए हैं।

अतः प्रार्थना पत्र वादीगण खारिज निर्णीत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर) 07/10/25

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड